किशोरी शक्ति योजना

1. भारत सरकार द्वारा संपोषित सबला योजना राज्य के 10 जिलों में संचालित की जा रही है। शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना लागू की जायेगी। किशोरी शक्ति योजना के लिए निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये है :–

   1. 11–18 वर्ष की आयु समूह की बालिकाओ के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना।
   2. शिक्षा की अनौपचारिक धारा के माध्यम से शिक्षा और संख्यात्मक कौशल उपलब्ध कराना, ज्ञान के प्रति इच्छा जागृत करना और उन्हे उनकी निर्णय करने की क्षमताओं को सुधारने में सहायता करना।
   3. किशोर बालिकाओं को व्यवसायिक कौशल में सुधार/उन्नयन के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करना।
   4. स्वास्थ्य, आरोग्य, पोषण और परिवार कल्याण, गृह प्रबन्ध और बालक की देख–रेख के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
   5. 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात ही और यदि सम्भव हो तो उसके पश्चात उनमें विवाह करने को समझ बनाने के विषय में सभी उपाय करना।
   6. उनके सामाजिक वातारण से संबंधी मुद्दो के प्रति एवं उनके जीवन पर पडने वाले प्रभाव की बेहतर समझ प्राप्त करना।
   7. समाज के उत्पादन और उपयोगी सदस्यों के रूप में विभिन्न क्रिया–कलापो को आरम्भ करने के लिए किशोर बालिकाओ को प्रोत्साहित करना।

1. **लक्षित समूहः**– पढाई छोड चुकी 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं

2. **सेवाएंः–**
   1. **पोषण प्रावधान**
   2. **आयरन एवं फॉलिक एसिड अनूपुरण**
   3. **स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं**
   4. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा**
   5. **परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्वतियां एवं गृह प्रबन्धन पर मार्गदर्शन**

6. **जीवन कौशल शिक्षा तथा सार्वजनिक सेवाओं तक पंहूच**
7. **व्यावसायिक प्रशिक्षण**

<u>सेवाओं का विवरण</u> :–

1. **पोषणः–**प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर 11 से 18 वर्ष की 2 कुपोषित किशोर बालिकाओं को सप्ताह में 6 दिन का गर्भवती/धात्री माताओं के बराबर पूरक पोषाहार वर्ष में 300 दिन के लिये दिये जाने का प्रावधान पूर्व में ही किया गया है। कुपोषित बालिकाओं को सामान्य श्रेणी में आने पर अन्य 2 कुपोषित बालिकाओं का चयन कर सामान्य श्रेणी में आने तक उन्हें सप्ताह में 6 दिन पोषाहार दिया जाना है।
2. **आयरन एवं फॉलिक एसिड अनूपुरण :–** आईएफए की गोलियां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से किशोर बालिकाओं के लिये उपलब्ध करवाई जायेगी। गोली की खुराक वयस्क व्यक्ति के बराबर दी जायेगी। चूंकि एक सप्ताह में 2 गोली प्रत्येक बालिका को दी जानी है। अतः सखी सहेली ये गोलियां सत्रों के दौरान समूह की बालिकाओं द्वारा उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करेगी। ए.एन.एम./आशा सहयोगिनी द्वारा गोलियों के लाभ के बारे में द्वारा बालिकाओं को समझाया जायेगा। परिशिष्ट ..''क.''..... भी देखें
3. **स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएंः–** MCHN **दिवस पर साथिन द्वारा एएनएम के सहयोग से** बालिकाओं की सामान्य जाचं कराई जायेगी। चिकित्सा अधिकारी/ए. एन.एम बालिकाओं को कृमी निवारण गोलियां प्रदान करेगे। इसी दिन इनका लम्बाई एवं वजन माप भी किया जायेगा। कुपोषित, बीमार, एनीमिया से पीडित एवं माहवारी संबधी समस्या होने पर बालिकाओं को अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिये रैफर किया जा सकेगा। साथ ही स्वस्थ्य होने तक फोलोअप किया जायेगा। परिशिष्ट .....''ख''.... भी देखें
4. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाः–** बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाने के लिये उन्हें सतत् शिक्षा दी जायेगी। जिससे पीढी दर पीढी चले आ रहे कुपोषण के कुचक्र को तोडने में सहायता मिलेगी। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा निम्न माध्यमों से दी जायेगी।

- किशोरी समूहों (बालिका मंडल) की साप्ताहिक बैठकों, MCHN दिवस पर चिकित्सा अधिकारी, आशा सहयोगिनी, ए.एन.एम. एवं आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा
- खाध एवं पोषाहार बोर्ड के क्षेत्रीय प्रशिक्षकों द्वारा पोषाहार एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों का आयेाजन कराकर भी किशोरियों को समझाया जा सकता है।

5. ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करके। परिशिष्ट ...''ग''..... भी देखें

5. परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्वतियां एवं गृह प्रबन्धन पर मार्गदर्शनः–

निम्नलिखित मुद्दों पर 11–14 और 14–18 वर्ष के दो आयु वर्गों की किशोरियां को आयु के अनुसार उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगाः–

1) **परिवार कल्याणः–** परिवार नियोजन, प्रजनन चक्र, सही आयु होने पर विवाह करने तथा बच्चों के जन्म में अन्तराल के लाभ, सुरक्षित मातृत्व, प्रतिरक्षण आदि।
2) **किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य**ः– किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, मासिक धर्म के प्रारंभ, मासिक धर्म के दौरान साफ–सफाई, बच्चों के जन्म की योजना, एड्स/एच.आई.वी./एस.टी.डी., गर्भ निरोध इत्यादि के विषय में आयु विशिष्ट मॉडयूल्स। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–2 और नैको(RCh-2& NACO) के अंतर्गत मॉडयूल उपलब्ध है, जिनसे संकेन्द्रण स्थापित किये जाने की जरूरत है।
3) **बाल देखभाल पद्वतियांः–** स्वस्थ बाल पोषण पद्वतियां, केवल स्तनपान के लाभ, बच्चों को संभालना, सामान्य बीमारियां आदि।
4) **गृह प्रंबधनः–** घर का रखरखाव, घर के बजट की योजना बनाना, गृह चलाना, महिलोन्मुख संचेतना, बच्चों की शिक्षा का महत्व आदि।

उपरोक्त विषयों पर ब्लॉक स्तर पर साथिन, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं एएनएम का संयुक्त प्रशिक्षण किया जायेगा ताकि उनके द्वारा सत्रों के दौरान किशोरी बालिकाओं में इन विषयों के प्रति समझ विकसित की जा सकें। गृह प्रंबध हेतु खाध एवं पोषाहार बोर्ड की क्षेत्रीय इकाई के प्रशिक्षकों से किशोर बालिकाओं के विशेष सत्र आयेाजित कराये जा सकते है। परिशिष्ट ..... 'घ'.... भी देखें

6. **जीवन कौशल शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं की पहूचं** :– अपने जीवन को कुशलता पूर्वक जीने के लिये रोजमर्रा की जिदंगी की चुनौतियों का कारगर रूप से सामना करने में किशोरियों को सक्षम बनाने के लिये उनमें जीवन कौशल विकसित किये जायेगे। ताकि

वे अपने जीवन में स्वस्थ एवं सकारात्मक व्यवहार करके सशक्तीकरण की मुख्य धारा में जुड सके।

- **जीवन कौशल के प्रमुख विषयः** –आत्मविश्वास, आत्मज्ञान एवं आत्मसम्मान के साथ निर्णय लेने की क्षमता, विवेचनात्मक सोच, संचार कौशल, अधिकारों एवं पात्रता की जागरूकता, विपत्तियों तथा साथिनों से प्रतिस्पर्द्धा के दबावों का सामना करने की क्षमता, कार्य साधक साक्षरता(जहां कहीं जरूरत हो) का विकास आदि शामिल किये जायेगे। जिला स्तर पर किशोरी शक्ति योजना से जुडी साथिनों का चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा ताकि ये सत्रों के दौरान बालिकाओं में जीवन कौशल विकसित कर सकें। जीवन कौशल प्रशिक्षण देने के लिये महिला अधिकारिता द्वारा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी।
- आत्मविश्वास पैदा करने, सरकारी एवं गैरसरकारी मूलभूत कार्यक्रमों की उपयोगिता की जानकारी के लिये विभिन्न सेवाओं से संबधित अधिकारियों/कार्यकर्ताओं से चर्चायें/ शैक्षणिक भ्रमण कराये जायेगें।
- जीवन कौशल शिक्षा के संबध में विवरण परिशिष्ठ 'ड' पर है।

7. **व्यावसायिक प्रशिक्षणः**– 16 से 18 वर्ष की पढाई छोड चुकी किशोर बालिकाओं को भविष्य में स्वरोजगार के प्रति उन्मुख करने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करवाये जायेगे। उक्त प्रशिक्षण गैर जोखिम पूर्ण आयोत्पादक कौशलों पर केन्द्रित होगे। उक्त प्रशिक्षण महिला अधिकारिता के माध्यम से आयोजित होगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण संबधी दिशा–निर्देश परिशिष्ठ ' च ' पर है।

प्रशिक्षण किटः– रूचिकर एवं विचारों के आपसी आदान–प्रदान के माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक, कानूनी मुद्दों को समझाने के लिये किशोरियों की सहायता हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर एक प्रशिक्षण किट होगी। किट में कई खेल एवं कार्यकलापों के लिये सामग्री होगी, ताकि सीखने के समय बालिकाओं को आनन्द आयें। अभिजात शिक्षा प्रदान करने के लिये अभिनिर्धारित सखी एवं सहेलियों को किट का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3. कार्यक्षेत्र में क्रियान्वयन मॉड्यूलः–

1. इस सम्पूर्ण योजना का क्रियान्वयन ग्रांमीण मुख्य कार्यकारी जिला परिषद् द्वारा महिला अधिकारिता ढाचें के अन्तर्गत किया जायेगा तथा शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. प्रत्येक शहरी/ ग्रामीण ब्लॉक के एक परिक्षेत्र जिसमें महिला पर्यवेक्षक कार्यरत हों, का चयन किया जायेगा। उस परिक्षेत्र की तीन से पांच ऐसी ग्राम पंचायतों का ग्रांमीण क्षेत्र में चयन किया जायेगा। जिनमें साथिनें कार्यरत हों। इन ग्राम पंचायतों के 20 आंगनबाडी केन्द्रों में स्कूल न जाने वाली/स्कूल बीच में छोड देने वाली किशोरी बालिकाओं के निम्न प्रकार समूह गठित किये जायेगेंः–

- स्कूल नहीं जाने वाली 11–18 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं का समूह गठन करना है जो नियमित रूप से आंगनबाडी केन्द्र पर KSY योजनान्तर्गत सेवाएं लेने आ रही है।
- 15–25 बालिकाओं का समूह आंगनबाडी केन्द्र पर गठित होगा।
- यदि 15 से कम एवं 7 से ज्यादा किशोरियां है तो भी समूह गठित किया जा सकता है।
- 7 से कम संख्या होने पर सखी–सहेली के चयन के बिना भी इन किशोरियों को योजना का लाभ दिया जा सकता है।

4. किशोरी क्षेत्र सखी–सहेली का चयन निम्नानुसार होगाः–

चयन आंगनबाडी कार्यकर्ता अध्यापक, स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी एवं साथिन के समक्ष होगा। एक सखी एवं 2 सहेलियों का चयन निम्न मापदण्डों के आधार पर किया जाना है।

- 14–18 वर्ष की उम्र हो।
- बालिका प्रेरक की भांति कार्य करने की इच्छुक हो।

- बेहतर शैक्षणिक स्तर
- अन्य किशोरियों से परिपक्व हों।
- समूह की स्वीकार्यकर्ता हो।
- परिवार की सहमति हो।
- बैठक का संचालन कर सकें एवं 2–3 घंटे का समय बैठक लेने में व्यतीत कर सकें। बैठक कार्यवाही लिख सकें।
- जनप्रतिनिधियों/महिला समूहों/आंगनबाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी/ए.एन.एम./जनमंगल जोडा आदि से समन्वयन स्थापित कर सकें।

उक्त तीन चयनित किशोरियों में से प्रत्येक किशोरी चार माह के अन्तराल में सखी के रूप में कार्य करेगी अर्थात् प्रत्येक सहेली को चार माह पश्चात् सखी बनने का अवसर दिया जायेगा एवं इसी प्रकार बनने का अवसर मिलेगा सखी को सहेली। सखी एवं सहेली के नाम आंगनबाडी केन्द्र की दिवार पर अंकित किये जायेगें। एक वर्ष पश्चात् पुनः अन्य किशोरियों में से सखी सहेली का चयन किया जाना है।

- सखी सहेलियां विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित निर्धारित मॉडयूल पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगी।
- आंगनबाडी की नियमित गतिविधियों में भाग लेगी जैसेः– स्कूल शिक्षा, पूरक पोषाहार, वृद्वि निगरानी आदि वे आंगनबाडी कार्यकर्ता के साथ गृह सम्पर्क भी करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात् प्रमाण पत्र दिया जायेगे जो किशोर बालिकाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिये आगे आने को प्रेरित करेगा।

सत्रों का आयोजन निम्नानुसार होगाः–

- प्रत्येक सप्ताह किशोरी समूह के दो सत्रों का आयोजन होगा। एक सत्र तीन घटें का होगा। इस प्रकार एक माह में कुल 8 सत्र आयोजित होगें। स्कूल जाने वाली और स्कूल न जाने वाली बालिकाओं के 2 संयुक्त सत्र स्कूल के दिनों में भी आयोजित

होगें। अवकाश के दिनों में एक माह चार ऐसे सत्र आयोजित किये जा सकते है। स्कूल जाने वाली लडकियों से स्कूल न जाने वाली लडकियों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोडने की प्रेरणा मिल सकती है। अनुभवों का आदान–प्रदान होता है। स्कूल जाने वाली लड़कियां भी समूह की बैठक में जीवन कौशल, पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, किशोरी यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, गृह प्रबंधक, बाल देखरेख के बारे में सीख सकेंगी। सत्रों का आयोजन निम्नानुसार होगाः–

- परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य एवं बाल देखरेख, आशा सहेयोगिनी एवं ए एन एम द्वारा आयोजन किया जावेगा।
- पोषाहार वितरण एवं पोषण एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा के सत्र आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा लिया जाना है।
- जीवन कौशल शिक्षा, कानूनी मुद्दों, विभागीय योजनाएं, कुरीतियों के दुष्परिणामों की जानकारी, शिक्षा से जुडाव गृह प्रबंधन, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच आदि सत्र साथिन द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में महिला पर्यवेक्षक एवं CDPO द्वारा लिया जाना है।
- सत्रों में खेल साम्रगी, सामूहिक चर्चा, किट का उपयोग किया जाना है। स्कूल के अध्यापकों को किशारियों को शिक्षा से जुडाव के लिये प्रेरित करने के लिये बुलाना है।
- उक्त सत्र संदर्भ व्यक्ति द्वारा आयोजित किये जायेगे, जिसमें स्वयं सेवी संस्था, स्वंय सहायता समूह, स्थानीय शिल्पी का भी सहयोग लिया जा सकता है। इन सत्रों को प्रचेता/सीडीपीओं द्वारा फेसिलीटेट किया जायेगा। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय यूनिट को इसमें शामिल किया जा सकता है। सखी सहेलियां आंगनबाडी कार्यकर्ता साथिन की उक्त सत्रों के आयोजन में मदद करेगी।
- परिवार कल्याण, प्रजनन यौन स्वास्थ्य विषय 14–18 वर्ष की किशोरियों को समझाये जाने हैं।

दिशा–निर्देश

1. योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया जावेगाः–

1. (अ) डिवोंमिग एवं आई.एफ.ए. गोलियों का उपयोग।
   (ब) स्वास्थ्य जाचं, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा एवं पोषाहार हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आई.सी.डी.एस से जोडना।

   (स) व्यक्तिगत स्वच्छता एवं सम्पूर्ण स्वच्छता, स्वास्थ्य जाचं, आई.एफ.ए. अनुपूरण, अर्श, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।

2. नैतिक एवं अनौपचारिक शिक्षा से जोडने के लिये सामाजिक चेतना, ज्ञान एवं समझ पैदा करने के कार्यक्रम आयोजित करना, सर्वशिक्षा अभियान एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 7 सूत्री कार्यक्रम से जोडना।

3. गृह आधारित एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना।

4. बालिकाओं को सामाजिक सशक्तिकरण के अन्तर्गत दहेज उन्मूलन, बाल विवाह का विरोध, अल्प बचत, सामाजिक वानिकी एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, महिला सहायता समिति विषयों पर जानकारी उपलब्ध करा कर समझ पैदा करना।

5. किशोरी बालिकाओं की साप्ताहिक में दो सत्र आयोजित किये जायेंगे। 1 बैठक आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं 1 बैठक आशा सहयोगिनी औंर एएनएम द्वारा आयोजित की जायेगी।

6. किशोरी शक्ति योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि बालिकाओं की रूचि कार्यक्रम में निरन्तर बनी रहे जिससे उन्हें रूचि अनुरूप व्यवहारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जावें।

7. बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आई.टी.आई., राजकीय पॉलिटेनिक, खाद्य एवं फल संरक्षण, उधोग विभाग, जिला उधोग केन्द्र, नेहरू युवा

केन्द्र, युवा मामले विभाग, आत्मा परियोजना, उद्यमिता विकास संस्थान, श्रम व रोजगार/अर्द्धसरकारी उपक्रमों से व्यावसायिक प्रशिक्षण उनके प्रावधानों के उपयोग करते हुये करवाया जावें।

8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमपीआर के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजे।

अन्य :–

1. विभाग का दिशा–निर्देश जारी होने के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी/सीडीपीओ/प्रचेता/एल.एस के साथ किशोरी शक्ति योजना को लागू करने संबधित जिला स्तर बैठक बुलाकर योजना की कार्यवाही के संबध में अवगत करायें एवं ऐसी 3–4 ग्राम पंचायतों/शहरी परियोजना के परिक्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र जो लगभग 20 हो सकते है का चयन करें।
2. केन्द्रों का चयन कर सूची बनाकर आंगनबाडी वाईज स्कूल न जाने वाली/स्कूल छोडने वाली 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं की पहचान कर समूह गठित करें।
3. स्कूल न जाने वाली 11 से 18 वर्ष की सभी बालिकाओं को सप्ताह में दो बार व्यस्क के बराबर आईएफए वितरण एवं उपलब्धता के लिये सी.एम.एच.ओ से परिपत्र जारी करावें। 1–1 गोली समूह की बैठकों में प्रति बालिका दी जानी है। एएनएम बालिकाओं को एनिमिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये लौह तत्व के खाधों एवं आईएफए गोली लेने के बारे में समझ पैदा करें।
4. साथिन, आंगनबाडी कार्यकर्ता, एएनएम के 5 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण में समूह गठन, सखी सहेली चयन, पोषण प्रावधान, आयरण एवं फॉलिक एसिड अनूपुरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखरेख पद्वतियां एवं गृह प्रबन्धन पर मार्गदर्शन आदि विषयों के बारे में प्रशिक्षण और समझ और सम्भागियों की भूमिका संबंधी प्रशिक्षण दिया

जायेगा। इसी प्रकार शहरी परियोजनाओं में महिला पर्यवेक्षक आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं ए एन एम का संयुक्त प्रशिक्षण होगा।

5. जीवन कौशल शिक्षा, किशोरियों को शिक्षा से जोडना, महिलाओं एवं बालिकाओं के सामजिक एवं कानूनी मुद्दें, कुरीतियों का निवारण आदि पर साथिन का जिला स्तर पर चार दिवसीय प्रशिक्षण आयेाजित किया जायेगा।
6. आंगनबाडी स्तर पर किशोरी बालिकाओं के समूहों के सप्ताह में दो सत्र आयेाजित किये जायेगें। इस प्रकार माह में कुल 8 से 10 सत्र आयोजित किये जायेगें। प्रत्येक सत्र में प्रत्येक बालिका को एक IFA की गोली सत्र स्थल पर ही दी जानी है। इन सत्रों में किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (ARSH) बाल देखरेख पद्वतियां आशा सहयोगिनी/एएनएम द्वारा, व्यंजन तैयार करने का प्रदर्शन करना, पोषण एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा, स्वच्छता आदि विषय आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा तथा जीवन कौशल शिक्षा, सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों की जानकारी, योजनाओं की जानकारी, कुरीतियों के दुष्परिणामों एवं इनके रोक हेतु कानूनी प्रावधान, किशोरियों को शिक्षा से जोडना आदि सत्र साथिन द्वारा आयोजित किये जायेगें। सत्रों के आयेाजन के लिये सत्रों के मासिक कलेण्डर की सहायता ली जायें। परिशिष्ठ ' '
7. 16 से 18 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। अतः ब्लॉक स्तर पर सखी सहेली का व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करें तथा उन्हें कच्चे माल की एक किट प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र/समूह देकर अपने क्षेत्र के लिये भेंजे ताकि ये सखी/सहेलियां शेष 16–18 वर्ष की किशोर बालिकाओं को प्रशिक्षण दे सकें एवं अभ्यास करा सकें।
8. शैक्षिक सत्रों के दौरान दी गयी प्रशिक्षण किट के उपयोग के संबध में साथिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी की संयुक्त बैठक के दौरान किट के उपयोग के बारे में समझायें ताकि वे सत्रों में इसका उपयोग कर सकें।
9. जिन बालिकाओं का वजन 40 किलो से कम हो उनमें से 2 बालिकाओं को 3 माह तक ICDS का पोषाहार प्राप्त करने हेतु रोटेशन में सुनिश्चितता करें।

10. जो बालिकायें 11 से 14 वर्ष की है और वे स्कूल नही गई है जिन्होने स्कूल छोड दी है उन्हे सर्वशिक्षा अभियान के अनौपचारिक विकल्पों से जोडते हुए अथवा स्कूलों में पंजीकरण कराकर जो भी उन्हे सूट करे शिक्षा से जोडें।
11. जो बालिकायें 14 से 18 वर्ष की है तथा अनपढ है उनके लिए नवाचार के माध्यम से साक्षर होने की व्यवस्था करावें जैसे पढी–लिखी महिलाओं/बालिकाओं के द्वारा यह जिम्मेदारी लेना, ब्रिज कोर्स/उत्तर साक्षरता से जोडना आदि।
12. आंगनबाडी केन्द्रों पर मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (MCHN) मानाया जाता है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। बालिकाओं की हीमोग्लोबीन, वजन की जाचं करावें तथा उनकी जानकारी को पुख्ता करने के लिए प्रत्येक MCHN के दिन बालिकाओं की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे ताकि वे आंगनबाडी पर सुसज्जित चार्ट, चित्रों एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त कर सकें।
13. बालिकाओं का सामाजिक विकास एवं समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करने के लिए भी उनसे विभिन्न गतिविधियों में सहयोग लिया जाकर समाज के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करें।
14. रसोई के पानी के उपयोग एवं पोषण स्तर सुधारने के लिए बालिकाओं को अपने घरों तथा आंगनबाडी केन्द्रों पर किचन गार्डन बनाना, अनाज एवं दालों का अंकुरण खाद्यों का परिरक्षण, विभिन्न पौष्टिक व्यंजन तैयार आदि गतिविधियां भी सत्रों में आयोजित करावें। बालिकाओं को आवश्यक सामग्री घर से मंगवाकर तैयार सामग्री घर पर ले जाने हेतु कहें।
15. बालिकाओं को घरों में शौचालय बनाने की आवश्यकता की समझ विकसित कर शौचालय बनवाने हेतु तैयार करें एवं सरकारी प्रावधानों का लाभ उठाने में मदद करें।
16. समाज के हित में किये जाने वाले सामूहिक कार्यो से बालिकाओं को जोडें।
17. स्वच्छ घर, स्वस्थ्य बालिका जैसी प्रतियोगिताऐं आयोजित करावें।

18. विधिक सहायता शिविरों का आयोजन विधि विभाग की सहायता से करावें। जिसमें बालिकायें एवं महिलाऐं शामिल होवें।
19. प्रतिमाह योजना का जिलास्तर पर रिव्यू करें।
20. इस योजना का एक–एक पैसा बालिकाओं के सामाजिक/शारीरिक/शैक्षिक /स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को ऊपर उठाते हुए उन्हे आर्थिक सबलता की कडी में जोडने के लिए है। अतः बालिकाओं के चहुंमुखी विकास हेतु राशि का उपयोग सुनिश्चित करावें।

किशोरी शक्ति योजना अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों के नियमः–

1. भोजन व्यवस्थाः–संभागियों की भोजन व्यवस्था जिसमें सुबह का नाश्ता, दो चाय एवं दो बार खाना आदि 75/– रूपये प्रतिदिन व्यय किया जा सकेगा।
2. संभागियों को टी.ए एवं डी.ए किशोरी शक्ति योजना के मद में से नहीं दिया जाकर विभाग के बजट में से प्रावधानुसार दिया जाना है।
3. अन्य विभागों के अधिकारी/कार्यकताओं को टीए, डीए संबधित विभाग द्वारा दिया जायेगा।
4. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 25/– रूपये का पैन, स्लीप पैड/रजिस्टर आदि दिया जायेगा।
5. किशोरियों को शैक्षणिक भ्रमण के दौरान 35/– रूपये प्रति किशोरी के हिसाब से भोजन का पैकेट उपलब्ध कराया जाना है।
6. प्रशिक्षकों को 300/– प्रतिदिन के हिसाब से मानेदय दिया जाना है।
7. प्रशिक्षक संबधित जिले के उपनिदेशक के सहयोग से प्रशिक्षणार्थियों को विषय से संबधित सामग्री उपलब्ध करायेगें।
8. जिला स्तरीय साथिन प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षकों की व्यवस्था करने में महिला अधिकारिता का सहयोग लिया जा सकेगा।
9. एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी के संयुक्त प्रशिक्षण में एनआरएचएम, नेटवर्क, चिकित्सा अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाध एवं पोषाहार बोर्ड, गृह विज्ञान महाविघालय एवं सम्पूर्ण स्वच्छता के समन्वयक को आमंत्रित किया जा सकता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संबधी दिशा–निर्देश

1. व्यवसायिक प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी भी आपको साथ –साथ करनी है। अतः आपको सरकारी/अद्ध सरकारी संस्थाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं व प्रावधान देखने होगें। जैसे जिला उधोग केन्द्र पोलोटेक्निक, खाध ग्रामोधोग बोर्ड, नेहरू युवा केन्द्र, आईटीआई, कृषि पशुपालन, खाध एवं पोषण बोर्ड, प्रशिक्षण केन्द्र । उक्त विभागो के प्रावधानो का लाभ लेते हुए बालिकाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाऐ। प्रशिक्षको के द्वारा स्वंय भी प्रशिक्षण आयोजित करा सकता है।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण में 16–18 वर्ष की 60 सखी व सहेलियों (दो बैच में)/प्रति ब्लॉक को शामिल करे।
3. यह प्रशिक्षण प्रत्येक साथिन से 2–2 सखी सहेली बालिकाओं को बुलाकर व्यवस्था अनुसार ब्लॉक/सेक्टर स्तर पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
4. ट्रेडों के अनुसार जितना समय वाछिंत है उसके अनुसार तय किया जाकर बजट प्रावधान रखा जावे।
5. जिस विभाग /केन्द्र/प्रशिक्षक से प्रशिक्षण करवाना है उसके व्यय का आंकलन कर लें। उनके प्रावधानों को जोड़ते हुये प्रशिक्षण आयोजित करावे।
6. प्रशिक्षक से प्रशिक्षण प्रदान करने पर प्रशिक्षक को प्रशिक्षण अवधि के प्रतिदिन के भुगतान के आदेश जारी करें।
7. अक्टूबर माह में व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित करावें।
8. कच्चा माल सखी सहेली को दिया जायेगां। प्रशिक्षण का स्थान आंगनवाडी केन्द्र के समय के बाद आगनंवाडी केन्द्र पर होगा। जो वर्तमान में आंगनबाडी एवं महिला विकास केन्द्र है। सखी सहेली अपने समूह की शेष किशोरियो को प्रशिक्षण देगी और गुणवत्ता के लिए अभ्यास करायेगी। तैयार माल को जिला /राज्य स्तर पर प्रदर्शनी महिला सप्ताह के दौरान मार्च में की जावेगी।
9. व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यकता रूचि एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार करवाऐं।
10. बालिकाओं का व्यवसायिक प्रशिक्षण आवासीय न होकर प्रातः 11 से 4 बजे तक रखा जाना उचित होगा। प्रशिक्षण स्थल बालिकाओं की पहुॅच को ध्यान में रखकर चुना जाना चाहिये। सांय के भोजन के बजाय उन्हें आने जाने का किराया दिया जाये।
11. इस प्रशिक्षण में प्रथम सत्र नैतिक शिक्षा/व्यायाम एवं अन्तिम सत्र किसी विषय पर विशेषज्ञ को बुलाकर जानकारी एवं समझ पैदा की जावे।
12. प्रशिक्षण के दौरान कच्चा माल प्रशिक्षण के लिये दिये गये बजट(20,000) में से क्रय किया जायेगा।
13. व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करने तथा 720 रूपये प्रति आंगनबाडी केन्द्र के लिये एक किट के हिसाब से कुल 20 किट सखी सहेली को दी जायेगी। इसकी एक किट का मूल्य 720 रूपये होगा। इस किट में जिस ट्रेड पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। उसका कच्चा माल होगा। इस कच्चे माल से प्रशिक्षित सखी एवं सहेलियां आंगनबाडी पर गठित समूह की शेष किशोरियों को प्रशिक्षण देगी एवं अभ्यास करायेगी।
14. व्यावसायिक प्रशिक्षण के अन्य दिशा–निर्देश परिशिष्ट 'च ' पर है।

परिशिष्ठ–क

अति तत्काल

सं. जेड–28020/50/2003–सी एच

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(सी एच अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 23 अप्रैल, 2007

सेवा में,

सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली

सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

समस्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,

समस्त राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग

समस्त राज्यों एव संघ राज्य क्षेत्रों के परिवार कल्याण के निदेशक

महानिदेशक, आई.सी.एम.आर. अंसारी नगर, रिंग रोड़, नई दिल्ली

वरिष्ठ सलाहकार (स्वास्थ्य), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली

देश में यूनिसेफ का प्रतिनिधी, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली

देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन (भारत) का प्रतिनिधी, निर्माण भवन, नई दिल्ली

देश में यू.एस.ए.आई.डी. का प्रतिनिधी, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

देश में यूरोपियन संघ का प्रतिनिधी, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

विषय :– सूक्ष्म पोषक तत्वों – आयरन फॉलिक एसिड से संबंधित नीति की समीक्षा।

महोदय/महोदया,

सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के अनुमोदन से आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण से संबंधित नीति निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :–

1. 6–12 माह की आयु वर्ग के शिशुओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए , क्योकि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि लौह तत्व की कमी इस आयु वर्ग पर भी प्रभाव डालती है।
2. 6–60 माह की आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन प्रति बच्चा 20 मिली ग्राम प्राकृतिक लौह तत्व तथा प्रतिदिन प्रति बच्चा 100 माइक्रो ग्राम फॉलिक एसिड दिया जाना चाहिए क्योकि यह व्यवस्था सुरक्षित तथा कारगर माना जाता है।
3. इस अनुपूरण हेतु राष्ट्रीय आई.एम.एन.सी.आई. दिशा–निर्देशो का अनुसरण किया जाए।
4. 6–60 माह की आयु वर्ग के बच्चों के लिए फेरस सल्फेट तथा फॉलिक एसिड तरल घोल के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें तरल घोल के प्रति लीटर में 22 मिली ग्राम प्राकृतिक लौह तत्व तथा 100 माइक्रो ग्राम फॉलिक एसिड हो। सुरक्षा कारणों से, तरल घोल को इस तरह से डिजाइन की गई बोतलों में भरा जाना चाहिए

कि जब भी इसमें से इसको निकालना हो, तो एक बार में 1 मिली लीटर ही निकाला जा सके।

5. कार्यात्मक परिस्थितियों में तरल घोल की तुलना में आसानी से अलग हो जाने वाली गोंलियों से लाभ होता है। इनका विश्व के अन्य भागों में तथा व्यापक पैमाने पर भारतीय अध्ययनों में कारगर रूप से प्रयोग किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आसानी से अलग हो जाने वाली आयरन व फौलिक एसिड की गोलियों को शुरू करने के संभरण तंत्र को आगे बढ़ाया जाए।
6. गर्भवती तथा धात्री महिलाओं हेतु वर्तमान कार्यक्रम संबंधी सिफारिशो को जारी रखा जाए।
7. 6–10 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों तथा 11–18 वर्ष की आयु के किशोर/किशोरियों को भी राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्ताल्पता निवारण कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
8. 6–10 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को वर्ष में 100 दिन प्रतिदिन प्रति बच्चा 30 मिली ग्राम प्राकृतिक लौह तत्व तथा 250 माइक्रो ग्राम फौलिक एसिड प्रदान किया जाएगा।
9. 11–18 वर्ष की आयु के किशोर/किशोरियों को वयस्कों के बराबर खुराक तथा समान अवधि तक अनुपूरण दिया जाए। किशोरियों को प्राथमिकता दी ताए।
10. लौह तत्व की कमी से होने वाली रक्ताल्पता की समस्या के निवारण के लिए बहुमाध्यम एवं कार्यनीतियां अपेक्षित है। सहायक अथवा वैकल्पिक अनुपूरंण कार्यनीति के रूप में दोहरे संपुष्टिकृत नमक/सेचको/अल्ट्रा चावल तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों पदार्थो जैसे और अधिक नए उत्पादों का पता लगाया जाए।

अनुरोध है कि मामलें संबंधी की गई आगामी आवश्यक कार्यवाही से इस मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

हस्ताक्षर.....

(डॉ. संगीता सक्सेना)

सहायक आयुक्त (सी.एच.)

दूरभाष सं. 23061218

सूचनार्थ प्रतिलिपिः–

1. सलाहकार (पोषण) डी.जी.एच.एस. निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. उपर्युक्त सूचना मंत्रालय की बेव साइट पर डालने के अनुरोध के साथ निदेशक, एन. आई.सी., परिवार कल्याण मंत्रालय
3. आगामी आवश्यक कार्यवाही करने के अनुरोध के साथ निदेशक (आई.ई.सी)
4. निदेशक, निपसिड
5. सचिव, एन.एम. एफ
6. अध्यक्ष, आर्द.ए.पी.
7. अध्यक्ष, आई.एम.ए.
8. आपूर्ति प्रभाग/सांख्यिकीय प्रभाग/एम.सी.एच. प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9. फाइल सं. जेड 28020/30/2005– सी.एच/जेड 28020/122/2005– सी.एच. को प्रति
10. आई.एम.एन.सी.आई. संबंधी वृहत फाइल/गार्ड फाइल

हस्ताक्षर.....

(डॉ. संगीता सक्सेना)

सहायक आयुक्त (सी.एच.)

दूरभाष सं. 23061218

स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवाएं

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी –

i. स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं
ii. आयरन एवं फौलिक एसिड की गोलियों की आपूर्ति तथा वितरण
iii. कृमि निवारण दवाएं

आयोजित किये जाने वाले क्रियाकलापों में निम्नलिखित को शामिल किया जाए –

- प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार किशोरी दिवस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किशोरियों की सामान्य स्वास्थ्य जांच की जाएगी।
- किशोरियों में वितरण हेतु स्वास्थ्य विभाग से आयरन एवं फौलिक एसिड की गोलियां प्राप्त की जाएं। यदि इनकी आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की जाती है तो भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ये गोलियां इस स्कीम के बजट से खरीदी जा सकती है।
- किशोरियों के विकास की स्थिति पर निगरानी रखने के उद्देश्य से किशोरियों की लंबाई तथा वजन रिकार्ड किया जाए तथा स्वास्थ्य कार्ड में बी.एम.आई. दर्ज किया जाए।
- जिन किशोरियों को समस्या के निराकरण के लिए विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है, उन्हें हस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला हस्पतालों में उपचार हेतु रैफर किया जायेगा। चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों को उक्त प्रयोजनार्थ निर्धारित रेफरल पर्ची के साथ भेजेगा।
- चिकित्सा अधिकारी उन लडकियों को, जिन्हें कृमि निवारक गोलियों की आवश्यकता है, राज्य विशिष्ट दिशा–निर्देशों के आधार पर ये गोलियां प्रदान कर सकता है।
- किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सामान्य प्रश्नों के उत्तर दिये जा सकते है।

पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा

पोषण तथा स्वास्थ्य किशोरियों की समग्र शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं क्योंकि ये उनकी विकास पद्धतियां निर्धारित करते है। किशोरियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सही तथा प्रासंगिक जानकारी के साथ–साथ उचित पोषक आहार सुनिश्चित किये जाने की जरूरत होती है, क्योंकि किशोरावस्था तीव्र विकास की अवस्था होती है, इस समय किशोरी का शरीर भविष्य में माँ बनने के लिए तैयार होता है।

निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया जाये –

स्वास्थ्य – वैयक्तिक स्वच्छता, सफाई, मासिक धर्म के प्रारंभ तथा इससे संबंधित परिवर्तनों, व्यायाम, योग, प्राथमिक उपचार, हानिकारक मिथकों तथा पारंपरिक प्रथाओं, घरेलू उपचारों, सामान्य बीमारियों, नशीली दवाओं एवं शराब से दूर रहने तनाव में कमी आदि।

पोषण – स्वास्थ्यकर खाना बनाने एवं खाना खाने की आदतें, सुरक्षित पेय जल, संतुलित आहार, स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक खाद्य, पोषण की कमी से हाने वाले विकार एवं उनकी रोकथाम, गर्भावस्था तथा शैशव काल में पोषण, शिशुओं एवं छोटे बच्चों के आहार इत्यादि।

इन्हें विभिन्न तरीकों के माध्यम से किया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है –

- विशिष्ट रूप से आयोजित अल्प पाठयक्रम
- आंगनबाडी केन्द्रों में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मेला, सामूहिक विचार–विमर्श, प्रश्नोत्तर सत्रों, पहेलियों आदि जैसे पोषण स्वास्थ्य शिक्षा माडयूलों का आयोजन
- स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषक आहार के सर्वोत्तम उपयोग हेतु प्रशिक्षण प्रर्दशन तथा शिक्षा के लिए खाद्य एवं पोषण बोर्ड की चल खाद्य तथा विस्तार इकाईयों की सुविधाओं का उपयोग करना।
- स्वास्थ्य, पोषण, बाल देखभाल संबंधी मुद्दों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आंगनबाडी केन्द्र के दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों में किशोरियों की भागीदारी।
- किशोरियों के प्रश्नों एवं चिंताओं का निराकरण करना।

परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, बाल देखभाल एवं गृह प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शन

निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों पर 11–15 और 15–18 वर्ष के दो आयु वर्गो की किशोरियों को आयु के अनुसार उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जाए –

i. **परिवार कल्याण –** परिवार नियोजन, प्रजनन चक्र, सही आयु होने पर विवाह करने तथा बच्चों के जन्म के लाभ, सुरक्षित मातृत्व, प्रतिरक्षण आदि।
ii. **किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य –** किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य, मासिक धर्म के प्रारंभ, मासिक धर्म के दौरान साफ–सफाई, बच्चों के जन्म की योजना, एड्स/एच.आई.वी./एस.टी.डी., गर्भ निरोध इत्यादि के विषय में आयु विशिष्ट मॉडयूल्स। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य – 2 और नैको के अंतर्गत मॉडयूल उपलब्ध है, जिनसे संकेन्द्रण स्थापित किये जाने की जरूरत है।
iii. **बाल देखभाल पद्धतियां –** स्वस्थ बाल पोषण पद्धतियां, केवल स्तनपान के लाभ, बच्चों को संभालना, सामान्य बीमारियां आदि।
iv. **गृह प्रबंधन –** घर का रखरखाव, घर के बजट की योजना बनाना, बचत, गृह चलाना, महिलोन्मुख संचेतना, बच्चों की शिक्षा का महत्व आदि।

यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (क्योंकि किशोरियों से संबंधित कई मुद्दें प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य–2 जैसे ही है) तथा गैर–सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों के जानकार व्यक्तियों के समन्वय से किया जायेगा। उपयोग में लाई जाने वाली कुछ विधियां परिशिष्ट–ग में दी गई है।

जीवन कौशल शिक्षा

क. किशोरियों की जीवन कौशल शिक्षा में निम्नलिखित शामिल किये जायेंगे –

i. समस्या समाधान
ii. विवेचनात्मक सोच–विचार
iii. वार्तालाप कौशल
iv. स्व–जागरूकता कौशल
v. तनाव का सामना करना
vi. नेतृत्व

जीवन कौशल संरचना हेतु कुछ क्रियाकलापों का उद्देश्य विभिन्न मॉडयूलों के माध्यम से निम्नलिखित पर व्यावहारिक सूचना एवं ज्ञान प्रदान करना है –

i. वैयक्तिक स्वच्छता
ii. स्वस्थता
iii. योग
iv. खेलकूद
v. कारगर वार्तालाप
vi. केरियर संबंधी लक्ष्यों सहित निर्णय–निर्माण
vii. सकारात्मक स्व–अवधारणा
viii. घरेलू हिंसा, अधिनियम, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे विधि अधिकारों तथा कानूनों के संबंध में जागरूकता

ix. मूलभूत उपयोगिता सेवाएं

x. कार्य साधक साक्षरता (जहां कहीं अपेक्षित हो)

xi. मत देने तथा जनतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार

जीवन कौशल अंतक्षेपों के प्रत्याशित परिणाम इस प्रकार है –

i. आत्म–सम्मान में वृद्धि

ii. निश्चयात्मकता

iii. वार्तालाप कौशल

iv. योजना बनाने तथा लक्ष्य निर्धारण की क्षमता

v. स्वास्थ्य, पोषण, कानूनी अधिकार आदि के संबंध में विशिष्ट मुद्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना।

vi. समस्याओं को हल करने की क्षमता।

जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने के लिए युवा मामले विभाग, युवा क्लबों के साथ संकेन्द्रण स्थापित करने की जरूरत है।

ख. सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने संबंधी मार्गदर्शन

क्षेत्र में मौजूदा सार्वजनिक सुविधाओं संबंधी सूचना तथा उन तक पहुँच के बारे में जानकारी देना जैसे कि –

i. स्वास्थ्य केन्द्रों, बैंकों, डाकघरों इत्यादि में जाना

ii. बैंक/डाकघर में खाता खोलना/उसका संचालन करना

iii. पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना तथा पुलिस सेवाएं प्राप्त करना

iv. शिक्षा विभाग के समन्वय से शिक्षा में खोये हुए अवसरों तक पहुँच संबंधी सूचना प्रदान करना

v. पंचायती राज संस्था तथा इनमें कैसे भागीदारी की जाए, के बारे में जानकारी

vi. सरकारी कार्यालय और उनका कामकाज

vii. सार्वजनिक परिवहन, आरक्षण जैसी सुविधाओं के उपयोग द्वारा सुरक्षित यात्रा

व्यावसायिक प्रशिक्षण

व्यावसायिक प्रशिक्षण का किसी व्यक्ति की तथा व्यापक रूप से समाज की सामाजिक–आर्थिक प्रगति में काफी बडा योगदान है। यह सुविदित है कि व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण से मिलने वाले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ काफी अधिक होते है, क्योंकि ये प्रशिक्षण कम लागत वाले तथा रोजगार के अवसरों से जुडे होते है। व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण शिष्ट जीवनयापन एवं सशक्तिकरण करने वाले आयोत्पादक कौशलों पर केन्द्रित होने चाहिए। 16 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक किशोरी को कम से कम एक व्यवसाय संबंधी कौशल प्रदान किया जाएं ताकि परिणामस्वरूप वह स्व–रोजगार/वैतनिक रोजगार प्राप्त कर सके अथवा अन्य सहभागियों के साथ लघु उद्यम लगा सके।

राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का ऐसा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशलों में सुधार और ज्ञान के माध्यम से सभी व्यक्तियों का सशक्तिकरण करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास के अवसरों के साथ–साथ स्थानीय श्रम बाजार/रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसरों और सहायता स्कीम के विषय में जानकारियां प्रदान करने वाले केन्द्रों के रूप में कौशल विकास केन्द्रों को गांवों और ब्लॉकों के स्तर पर प्रोत्साहित किया जायेगा। स्व–सहायता दलों, सहकारी समितियों और गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन के कार्य में पंचायतों, नगर–पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों का सहयोग लिया जायेगा।

लक्षित वर्गो की विशेषताओं और परिस्थितियों के अनुरूप ऑनसाइट या ऑफसाइट प्रशिक्षण के अवसरों वाले लचीले प्रशिक्षण तंत्र प्रदान करने वाले अल्पकालिक, बाजारोन्मुख,

मांग प्रेरित कार्यक्रमों के लिए किशोरियों के पंजीकरण हेतु श्रम मंत्रालय के साथ तालमेल स्थापित किया जायेगा।

प्रशिक्षण ट्रेड का चयन

निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्रशिक्षण के ट्रेड का चयन किया जाना चाहिए –

i. क्षेत्र में विशेष ट्रेड की मांग
ii. उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाएं
iii. उत्पादों की स्थानीय मांग
iv. प्रशिक्षुओं की रूचि तथा इच्छाएं
v. प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर

व्यावसायिक प्रशिक्षण घटक से जुडने तथा राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जाने वाले शुल्क की आंशिक प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रति परियोजना प्रति वर्ष 30,000/– रूपये की निधियों का उपयोग करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ग्राम स्तरों पर कौशल विकास केन्द्रों के साथ संकेन्द्रण स्थापित करेंगे।

सुझावात्मक समय सारणी

स्कूली शिक्षा छोड चुकी लडकियां

यह स्कीम स्कूली शिक्षा छोड चुकी सभी किशोरियों (11–18 वर्ष) पर केन्द्रित है। ये किशोरियों सप्ताह में 1 या 2 दिन (परिच्छेद संख्या 12 के अनुसार) आंगनबाडी केन्द्र अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में निर्धारित भवनों में एकत्र होंगी।

इन किशोरियों के लिए इन दिनों हेतु प्रति दिन 2–3 घंटे के कार्यकलापों की आयोजना तैयार की जाए। (समय और दिनों के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेना है)

विभिन्न मुद्दों पर सत्रों का आयोजन किया जायेगा। इन सत्रों के लिए आंगनबाडी केन्द्रों हेतु दिन–वार समय–सारिणी परियोजना स्तर पर तैयार की जाए। आयु के अनुरूप कुछ विशेष कार्यक्रमों के लिए इन सत्रों को 11–14 वर्ष की आयु और 15–18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए दो क्षेणियों में बांटा जाए। इन सत्रों का संचालन संसाधन व्यक्ति करेंगे, जो गैर–सरकारी सगंठनों/सामुदायिक संगठनों/स्व–सहायता दलों/क्षेत्रीय प्रशिक्षकों/स्थानीय दस्तकारों इत्यादि में से आ सकते है। इन सत्रों का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी और प्रचेता करेंगे तथा आंगनबाडी कार्यकर्त्री/आशा सहयोगिनी/ए.एन.एम./साथिन उनकी सहायता करेंगी। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाईयों को भी शामिल किया जा सकता है। लडकियों की नेता सखी और सहेली इन सत्रों के लिए लडकियों को एकत्र करने में सहायता करेंगी।

इन सत्रों के विषय इस प्रकार हो सकते है –

i. पोषण

ii. सामान्य स्वास्थ्य/किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य

iii. अधिकार एवं पात्रता, कानूनी उपबंधों के बारे में जानकारी

iv. जीवन कौशल तथा गृह कौशल

v. सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच

vi. प्रशिक्षण हेतु स्थानीय दस्तकार की पहचान की जाए/प्रशिक्षण का कार्य सौंपा जाए।

स्कूल जाने वाली और स्कूल न जाने वाली, दोनों प्रकार की किशोरियों के लिए मिश्रित सामूहिक कार्यकलाप

जब स्कूलों में पढाई चल रही हो, तब उन कार्यकलाप का आयोजन महीने में दो बार और जब स्कूलों में छुट्टी हो, तब महिने में चार बार किया जायेगा।

उपर्युक्त विषयों पर सत्रों, कहानी सत्रों, खेलों, सामूहिक परिचर्चा जैसे मिश्रित सामूहिक कार्यकलाप का आयोजन इन अवसरों पर किया जा सकता है। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन जानकार व्यक्ति करेंगे, जो गैर–सरकारी संगठनों/सामुदायिक संगठनों/स्व–सहायता दलों/क्षेत्रीय प्रशिक्षकों/स्थानीय दस्तकारों इत्यादि में से आ सकते है। इन सत्रों का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक करेंगे तथा आंगनबाडी कार्यकर्त्री/'आशा' कार्यकर्त्री/ए.एन.एम. उनकी सहायता करेंगी। खाद्य एवं पोषण बोर्ड की क्षेत्रीय इकाइयों को भी शामिल किया जा सकता है। स्कूल के अध्यापक इन दिनों बालिकाओं से बातचीत कर सकते है और स्कूल न जा रही किशोरियों को उपयुक्त कक्षाओं में दाखिल कर सकते है।

स्कूल न जा रही बालिकाओं को इन कार्यकलाप और सत्रों के आयोजन से स्कूल जाने वाली अपनी साथियों की तरह ही शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर और प्रेरणा प्राप्त होंगी तथा स्कूल जाने वाली बालिकाओं को सार्वजनिक सेवाओं, जीवन कौशलों इत्यादि को समझने में मदद मिलेगी।

परिशिष्ट 'झ'

सत्रों का मासिक कलेण्डर

प्रथम सप्ताह प्रथम सत्र	प्रथम सप्ताह द्वितीय सत्र	द्वितीय सप्ताह प्रथम सत्र	द्वितीय सप्ताह द्वितीय सत्र	तृतीय सप्ताह प्रथम सत्र	तृतीय सप्ताह द्वितीय सत्र	चतुर्थ सप्ताह प्रथम सत्र	चतुर्थ सप्ताह द्वितीय सत्र
• परिवार कल्याण • किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य(ARSH) • बाल देखरेख पद्वतियां • आशा सहयोगिनी /एएनएम • गृह प्रबंधन साथिन द्वारा	• व्यंजन तैयार करने का प्रदर्शन करना। • पोषण एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा • आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा	• जीवन कौशल शिक्षा एवं कानूनी मुद्दे की जानकारी • योजनाओं की जानकारी • कुरीतियों के दुष्परिणामों एवं काननू • शिक्षा से जोडना साथिन द्वारा	• व्यंजन तैयार करने का प्रदर्शन करना। • पोषण एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा • आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा	• जीवन कौशल शिक्षा एवं कानूनी मुद्दे की जानकारी • योजनाओं की जानकारी • कुरीतियों के दुष्परिणामों एवं काननू शिक्षा से जोडना साथिन द्वारा	• पोषण एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा • आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा	• जीवन कौशल शिक्षा एवं कानूनी मुद्दे की जानकारी • योजनाओं की जानकारी • कुरीतियों के दुष्परिणामों एवं काननू शिक्षा से जोडना साथिन द्वारा	• व्यंजन तैयार करने का प्रदर्शन करना। • पोषण एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा • आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा